

आदर्श आचार संहिता के दौरान आभूषण परिवहन अनुपालन मार्गदर्शिका



यह प्रस्तुति विशेष रूप से चुनाव अवधि के दौरान आभूषण आंदोलन के अनुपालन और नियामक पहलुओं पर एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करती है। इसमें कीमती धातुओं की जब्ती, चुनाव के दौरान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की भूमिका, परिवहन के लिए उचित दस्तावेज, और अधिसूचनाओं के साथ अद्यतन रहने और अधिकारियों के साथ सहयोग करने के महत्व को शामिल किया गया है।



चुनाव खर्च



चुनाव खर्च

चुनाव खर्च के प्रकार

कानूनी खर्च [सार्वजनिक बैठकें,
पोस्टर, बैनर, वाहन आदि।]

CEILING

अवैध खर्च [निर्वाचकों को प्रभावित
करने के उद्देश्य से उनके बीच धन,
उपहार, शराब या किसी अन्य वस्तु का
वितरण]

रोकना होगा

खर्च निगरानी मशीनरी

- ❑ खर्च पर्यवेक्षक (ईओ)
- ❑ सहा. खर्च पर्यवेक्षक (एईओ)
- ❑ **उड़न दस्ते और स्थैतिक निगरानी दल (एफएस और एसएसटी)**
- ❑ वीडियो निगरानी दल (VST)
- ❑ वीडियो देखने वाली टीम(VVT)
- ❑ अकाउंटिंग टीम
- ❑ एक्साइज टीम
- ❑ मीडिया प्रमाणन और मॉनिटरिंग समिति (MCMC)



उड़नदस्ते की भूमिका

- शिकायत पर कार्रवाई करें और रिपोर्ट करें
- नकदी या अन्य प्रलोभनों को जब्त करने के सबूत इकट्ठा करें और रिकॉर्ड करें
- जब्ती आदि की दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- पैसे के भंडारण के मामले में स्थान को घेर लें।



2022 में ज़ब्ती (करोड़ रुपये में)

States	Cash	Liquor	Narcotics	Precious Metals	Freebies/ Other	Total (2022)	Total (2017)
Uttar Pradesh	103.56	62.13	48.48	40.71	94	348.88	193.29
Uttarakhand	4.37	4.75	5.39	4.00	0.3	18.81	6.85
Manipur	6.14	0.73	143.78	12.17	7.42	170.24	6.42
Punjab	33.79	36.79	376.19	60.54	3.6	510.91	89.64
Goa	6.66	3.57	1.28	0.02	1.2	12.73	3.64
Total	154.52	107.97	575.12	117.44	106.52	1061.57	299.84

Source: Election Commission of India Website



पिछले छह आम चुनावों में जब्ती (करोड़ रुपये में)

States	Cash	Liquor	Narcotics	Precious Metals	Freebies	Total (2022/23)	Total (2017)
Karnataka	153.17	84.93	24.03	98.07	24.26	384.46	83.93
Tripura	3.45	3.20	26.82	3.41	8.56	45.43	1.79
Nagaland	6.30	5.09	32.87	0.00	5.76	50.02	4.30
Meghalaya	8.71	2.62	33.25	0.91	28.69	74.18	1.16
Gujarat	31.92	16.40	540.63	36.51	176.39	801.35	27.21
Himachal Pradesh	20.61	19.13	1.23	15.85	0.42	57.24	9.03

Source: Election Commission of India Website

चुनाव में आभूषण आंदोलन और जब्ती



2022 के दौरान बरामदगी

रुपये के आभूषण सहित कीमती धातुएँ। साल 2022 के दौरान 117.44 करोड़ रुपये जप्त किये गये।



पिछले छह आम चुनावों में बरामदगी

पिछले छह आम चुनावों में आभूषणों सहित कीमती धातुओं की कीमत रु. 181.75 करोड़ रुपये जप्त किये गये

वास्तविक लेनदेन पर प्रभाव

चुनावों के दौरान हुई कई जप्तियों में वास्तविक लेनदेन भी शामिल थे, जिससे रत्न और आभूषण क्षेत्र के व्यवसायों और व्यक्तियों को असुविधा हुई



चुनाव आयुक्त को अभ्यावेदन

आल इंडिया गेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौंसिल ने आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के दौरान माल की मुक्त आवाजाही के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए चुनाव आयुक्त को एक अभ्यावेदन दिया।



एडवाइजरी जारी करना

अभ्यावेदन के आधार पर, 31 जनवरी 2024 को एमसीसी के दौरान आभूषणों की आवाजाही के संबंध में विवरण को रेखांकित करते हुए एक सलाह जारी की गई थी। इस सलाह का उद्देश्य चुनाव नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आभूषणों के सुचारू और वैध परिवहन की सुविधा प्रदान करना है

Room No. 218, Jeevan Tara Building
Parliament Street, New Delhi
31st January 2024

सीबीडीटी ने जारी की एडवाइजरी



To,
Sh. Saiyam Mehra, Chairman (GJC)
All India Gem & Jewellery Domestic Council (GJC)
Mumbai.

Respected Sir,


Sub: Movement of gold (jewellery, ornaments etc.), bullion or other valuable articles during the period of Model Code of Conduct (MCC) -Reg.

Kindly refer to your office letter No. GJC/CBDT/GOI-001/2023-24 dated 11.1.2024 relating to the above-captioned subject.

2. In this regard, the undersigned is directed to refer to the press release dated 1st December 2016 by CBDT (Copy enclosed) that clarifies extant provisions regarding the seizure of items and jewellery under the Income-tax Act 1961.
3. The undersigned is further directed to assure that, if the stock of gold (jewellery, ornaments etc.), bullion or other valuable articles, in transit, is accompanied with proper documentation such as an Original tax invoice, Certified stock summary, Authorisation letter by the owner of goods, Photo ID card by the carrier of goods etc. then there should be no apprehension of seizure of gold (jewellery, ornaments etc.), bullion or other valuable by the Income Tax Department during the period of MCC.
4. The undersigned is accordingly directed to request you to kindly issue an advisory to the members of your Council to ensure the movement of gold (jewellery, ornaments etc.), bullion or other valuable articles, with proper documentation to enable quick and smooth verification by the Income Tax Department and to avoid any inconvenience to them.

Encl: As above

Yours faithfully,


(Deepak Chaudhary)
DCIT, OSD, Election Cell, CBDT

चुनाव के दौरान सीबीडीटी के प्रमुख कार्य

1. चुनाव खर्च की निगरानी

सीबीडीटी, अपने आयकर विभाग के माध्यम से, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च की निगरानी में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की सहायता करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह निर्धारित सीमा के भीतर है और वैध साधनों से प्राप्त किया गया है।

2. नियंत्रण कक्ष स्थापित करना

चुनावों के दौरान, सीबीडीटी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और बड़ी रकम की आवाजाही पर नजर रखने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करता है। ये नियंत्रण कक्ष आवश्यक होने पर उचित कार्रवाई करने के लिए अन्य प्रवर्तन एजेंसियों और ईसीआई के साथ समन्वय करते हैं।

3. जांच में सहायता करना

सीबीडीटी कर चोरी के मामलों की जांच में ईसीआई और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करता है।



चुनाव के दौरान सीबीडीटी के प्रमुख कार्य

4. काले धन के प्रयोग पर अंकुश लगाना

सीबीडीटी सक्रिय रूप से चुनावी परिणामों को प्रभावित करने के लिए नकदी या अन्य कीमती सामान जमा करने के संदेह वाली संस्थाओं पर निगरानी और छापेमारी करके चुनावों में बेहिसाब धन या काले धन के उपयोग को रोकने के लिए काम करता है।

5. Providing Clarifications and Guidelines

The CBDT issues clarifications and guidelines to ensure that taxpayers comply with tax laws, including guidelines on the movement of cash, gold, and other valuables, as well as reporting requirements for financial transactions.

परिवहन के लिए अनिवार्य दस्तावेज़

INVOICE



मूल कर चालान/डिलीवरी चालान

प्रत्येक आभूषण शिपमेंट में मूल कर चालान/डिलीवरी चालान होना चाहिए जिसमें सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 46 या नियम 55, जैसा भी मामला हो, के अनुसार विशिष्ट विवरण हो।



वाहक प्राधिकरण

ड्राइवर या वाहक के पास मालिक से एक प्राधिकरण पत्र होना चाहिए, जिसमें हिरासत और परिवहन के औचित्य को निर्दिष्ट किया गया हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिभाषित है।



प्रमाणित स्टॉक सारांश

ड्राइवर या वाहक के पास मालिक से एक प्राधिकरण पत्र होना चाहिए, जिसमें हिरासत और परिवहन के औचित्य को निर्दिष्ट किया गया हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिभाषित है।



वाहक की फोटो आईडी

आल इंडिया गेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौंसिल ने आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के दौरान माल की मुक्त आवाजाही के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए चुनाव आयुक्त को एक अभ्यावेदन दिया।



सीबीडीटी ने जारी की एडवाइजरी

ड्राइवर या वाहक को सीबीडीटी द्वारा दिनांक 31.01.2024 को जारी सलाह की एक प्रति रखनी चाहिए।

Room No. 218, Jeevan Tara Building
Parliament Street, New Delhi
31st January 2024

सीबीडीटी ने जारी की एडवाइजरी



To,
Sh. Saiyam Mehra, Chairman (GJC)
All India Gem & Jewellery Domestic Council (GJC)
Mumbai.

Respected Sir,


Sub: Movement of gold (jewellery, ornaments etc.), bullion or other valuable articles during the period of Model Code of Conduct (MCC) -Reg.

Kindly refer to your office letter No. GJC/CBDT/GOI-001/2023-24 dated 11.1.2024 relating to the above-captioned subject.

2. In this regard, the undersigned is directed to refer to the press release dated 1st December 2016 by CBDT (Copy enclosed) that clarifies extant provisions regarding the seizure of items and jewellery under the Income-tax Act 1961.
3. The undersigned is further directed to assure that, if the stock of gold (jewellery, ornaments etc.), bullion or other valuable articles, in transit, is accompanied with proper documentation such as an Original tax invoice, Certified stock summary, Authorisation letter by the owner of goods, Photo ID card by the carrier of goods etc. then there should be no apprehension of seizure of gold (jewellery, ornaments etc.), bullion or other valuable by the Income Tax Department during the period of MCC.
4. The undersigned is accordingly directed to request you to kindly issue an advisory to the members of your Council to ensure the movement of gold (jewellery, ornaments etc.), bullion or other valuable articles, with proper documentation to enable quick and smooth verification by the Income Tax Department and to avoid any inconvenience to them.

Encl: As above

Yours faithfully,


(Deepak Chaudhary)
DCIT, OSD, Election Cell, CBDT



आंदोलन के समय आभूषणों या कलाकृतियों के साथ संलग्न किए जाने वाले विवरण/दस्तावेज

Sr. No.	Type of Movement	Documents required
1	Any	Self-attested copy of GST Registration Certificate
2.	Any	Authorization letter endorsing the staff or logistics company.
3.	Sale	GST Invoice as per Rule 46 of the CGST Rules, 2017
4.	Branch Transfer (Intra State)	Delivery challan as per Rule 55 of the CGST Rules 2017
5.	Branch Transfer (Inter State)	GST Invoice for Stock Transfer as per Rule 46 of the CGST Rules, 2017
6.	Goods sent on Approval	Delivery challan as per Rule 55 of the CGST Rules 2017
7.	Job work	Delivery challan as per Rule 55 of the CGST Rules 2017
8.	Goods sent for Exhibition	Delivery challan as per Rule 55 of the CGST Rules 2017
9.	Repairing or Alteration	Delivery challan as per Rule 55 of the CGST Rules 2017
10.	Goods sent for Hallmarking	Delivery challan as per Rule 55 of the CGST Rules 2017



उद्देश्य की घोषणा।

परिवहन के दौरान ग़लतफहमियों को कम करने के लिए, विशेष रूप से चुनाव जैसे हाई-अलर्ट अवधि के दौरान, आभूषण वस्तुओं की आवाजाही के पीछे के एजेंडे को स्पष्ट करने वाले दस्तावेजों पर हमेशा एक घोषणा शामिल करें।

कोई राजनीतिक संबद्धता नहीं

एक स्पष्ट बयान कि आभूषण राजनीतिक संस्थाओं से जुड़ा नहीं है, अधिकारियों को परिवहन प्रक्रिया की गैर-पक्षपातपूर्ण प्रकृति का आश्वासन देता है।

प्रयोजन विशिष्टता

यह परिभाषित करना कि क्या आभूषण बिक्री के लिए है, नौकरी के काम के लिए है, या प्रदर्शनी के उद्देश्य से है, स्पष्टता प्रदान करता है और चौकियों से गुजरने को काफी हद तक आसान बना सकता है।

ई वेबिल उपयोगिता

हालांकि रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए यह अनिवार्य नहीं है, परिवहन के दौरान ई-वे बिल का उपयोग दस्तावेज़ीकरण की एक मजबूत ढाल के रूप में कार्य करता है, जो आपके परिचालन में वैधता की एक और परत जोड़ता है।

- भले ही छूट हो, अंतर-राज्यीय परिवहन के लिए ई-वे बिल बनाना एक अनुशंसित अभ्यास है, जो दूरदर्शिता और परिश्रम को साबित करता है।

Optional but Recommended



- यह जीएसटी नियमों के पालन को दर्शाता है, चौकियों के माध्यम से पारगमन को आसान बनाता है।

GST Compliance



- एक अतिरिक्त दस्तावेज़ के रूप में, ई-वे बिल किसी भी संभावित विवाद के गतिविधि के तेजी से समाधान में सहायक हो सकता है।

Additional Proof



फोटोग्राफिक एविडेन्स

भेजे जाने वाले आइटम की तस्वीरें पारगमन से पहले की स्थिति के प्रमाण के रूप में काम कर सकती हैं और आगमन पर उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को हल करने में मदद कर सकती हैं, जिससे दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया में सुरक्षा की एक दृश्य परत जुड़ जाती है।

- **प्रूफ ऑफ़ कौलिटी**

फोटोग्राफिक साक्ष्य आभूषण वस्तुओं को भेजे जाने से पहले उनकी गुणवत्ता और स्थिति के निर्विवाद रिकॉर्ड के रूप में काम कर सकते हैं।

- **डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन**

एक जौहरी द्वारा ली गई पूरी तस्वीरें यह सुनिश्चित करती हैं कि सभी विवरण कैप्चर किए गए हैं, जिससे प्रत्येक आइटम के लिए प्री-शिपमेंट बेसलाइन स्थापित हो जाती है।

- **व्यवस्थित रिकार्ड**

शिपमेंट के पारगमन रिकॉर्ड के एक भाग के रूप में सभी आभूषणों की तस्वीरों की एक सुव्यवस्थित डिजिटल गैलरी या भौतिक एल्बम रखें।



टेनिंग एंड अवेर्नेस

निरीक्षण के मामले में अपने वाहकों को ज्ञान और प्रोटोकॉल से सशक्त बनाएं। अच्छी तरह से सूचित व्यक्ति एक निर्बाध परिवहन अनुभव सुनिश्चित करते हुए, प्रभावी ढंग से चेक के माध्यम से नेविगेट कर सकता है।

1 दस्तावेज़ प्रशिक्षण

आवश्यक पारगमन दस्तावेजों के संबंध में गहन प्रशिक्षण पर जोर दें, अपने माल की वैधता को आत्मविश्वास से प्रदर्शित करने और स्पष्ट करने की क्षमता विकसित करें।

2 राइट्स नॉलेज

वाहक के कानूनी अधिकारों की स्पष्ट समझ सुनिश्चित करें, उन्हें किसी भी प्राधिकारी बातचीत के दौरान उचित प्रतिक्रिया देने के लिए सशक्त बनाएं।

3 प्रोटोकॉल परिचित

अपने कर्मियों को प्रक्रिया से परिचित कराएं, उन्हें किसी भी जांच को शिष्टता और सटीकता से संभालने के लिए तैयार करें।

सूचनाओं से अपडेट रहना

नियामक परिदृश्य तेजी से बदल सकता है, खासकर चुनावों के संदर्भ में। संबंधित प्राधिकारियों की नवीनतम सलाह से अवगत रहने से आपको अनुपालन को सुचारू रूप से बनाए रखने में मदद मिलती है।

1. नियमित अपडेट जांचें

किसी भी नई अधिसूचना के लिए नियमित जांच बनाए रखें जो परिवहन और इसलिए अनुपालन शर्तों को प्रभावित कर सकती है।

2. परिवर्तनों को समझें

अनजाने में प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने से रोकने के लिए नियमों में किसी भी बदलाव की व्याख्या करें और उसे अपने संचालन में शामिल करें।

3. सटीक कार्य करें

निरंतर अनुपालन और माल की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन मार्गदर्शन के अनुरूप त्वरित कार्रवाई करें।



डिजिटल ओवर कैश लेनदेन

नकदी के बजाय डिजिटल भुगतान का उपयोग एक पता लगाने योग्य और पारदर्शी मार्ग प्रदान करता है, जो चुनाव अवधि के दौरान अनिवार्य है जब परिवहन जांच अपने चरम पर होती है। इस अभ्यास का पालन करने से आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है और जोखिम कम होता है।

- **डिजिटल पेमेंट**

डिजिटल या चेक भुगतान पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं, एक सत्यापन योग्य पदचिह्न प्रदान करते हैं जो माल की किसी भी आवाजाही के पीछे के ईमानदार इरादों को मजबूत करता है।

- **जोखिम कम करें**

नकद लेन-देन कम करने से चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के प्रयास के रूप में गलत समझे जाने का जोखिम स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है।

- **मेन्टेन क्रेडिबिलिटी**

स्पष्ट वित्तीय प्रथाओं के माध्यम से विश्वास और वैधता की छवि को बनाए रखें, खासकर जब चुनावी अवधि की गहन जांच हो।



प्राधिकारियों के साथ सहयोग करना

मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन के दौरान निरीक्षण की घटनाएं अपरिहार्य हैं। पूर्ण सहयोग करें, आवश्यक दस्तावेज़ सक्रिय रूप से प्रदर्शित करें, और घर्षण रहित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य को स्पष्ट करें।

1 दस्तावेज़ीकरण तैयार करें

परिवहन शुरू करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज़ इकट्ठा कर लें ताकि रुकने पर अधिकारियों के साथ सहज सहयोग किया जा सके।

2 आशय स्पष्ट करें

पारदर्शिता प्रदर्शित करने और किसी भी संभावित अटकल को शांत करने के लिए परिवहन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझाएं।

3 सहयोग दिखाएँ

एक सहयोगात्मक रवैया चेकपॉइंट निरीक्षण के परिणाम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे त्वरित समाधान हो सकते हैं।

आवश्यक संपर्कों को तैयार रखना

लीगल एडवाइजर

माल के पारगमन के संबंध में समय पर कानूनी विवादों या स्पष्टीकरण को संबोधित करने में सहायता के लिए कानूनी सलाहकारों के संपर्क विवरण बनाए रखें।

जीजेसी प्रतिनिधित्व

जीजेसी प्रतिनिधियों की संपर्क जानकारी अपने पास रखें क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर वे त्वरित सहायता और वकालत प्रदान कर सकते हैं।

व्यापक संपर्क सूची

एक सूची बनाए रखें जिसमें कानूनी, उद्योग और आपातकालीन संपर्क शामिल हों ताकि आपके लॉजिस्टिक संचालन के दौरान सहायता कभी भी दूर न रहे।





Helpline Number for All India Gems & Jewellery Domestic Council (GJC)

For urgent assistance or queries related to the gems and jewellery industry,
please contact:

Contact Person: Mitesh Dhorda, Secretary

Helpline Number: +91 98204 10448

Email: chairman@gjc.org.in

Alert: Please have all relevant information or documents ready when seeking assistance to ensure a swift and effective response.



सीविजिल ऐप

सीविजिल ऐप भारत के चुनाव आयोग द्वारा नागरिकों को चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाने की एक पहल है।

- यदि आदर्श आचार संहिता के दौरान ज्वैलर्स का सामान पकड़ा जाता है तो सीविजिल ऐप विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है।
- यदि किसी जौहरी को लगता है कि उनके सामान को रोकना अन्यायपूर्ण है या गलतफहमी का परिणाम है, तो वे घटना की रिपोर्ट करने के लिए सीविजिल ऐप का उपयोग कर सकते हैं।
- इससे मुद्दे को चुनाव अधिकारियों के ध्यान में लाने में मदद मिल सकती है, जो मामले को सुलझाने के लिए उचित कार्रवाई कर सकते हैं।
- किसी भी उत्पीड़न या अनुचित अवरोधन के मामले में, त्वरित निवारण के लिए सीधे चुनाव आयोग को घटना की रिपोर्ट करने के लिए सीविजिल ऐप का उपयोग करें।



आयकर विनियमों का अनुपालन

सीबीडीटी द्वारा जीजेसी को जारी पत्र निर्देश संख्या के बारे में बताता है। 1916/1994 दिनांक 11.05.1994.

विशिष्ट सीमा से अधिक मात्रा में सोना या आभूषण ले जाने पर कड़ी जाँच की जा सकती है। इन सीमाओं का अनुपालन न केवल अच्छा अभ्यास है बल्कि कानूनी आवश्यकता भी है।

Profile	Gold Limit	Documentation for Excess
Married Woman	Up to 500 grams	Purchase invoices or inheritance documents
Unmarried Woman	Up to 250 grams	Purchase invoices or inheritance documents
Male Member	Up to 100 grams	Purchase invoices or inheritance documents

Press Note from Income Tax Department



Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes


New Delhi, 01 December, 2016.

PRESS RELEASE

Sub: Clarifications with respect to Gold Jewellery under Income Tax Law

In order to remove any doubt about the current position of Income Tax Law with respect to gold jewellery, the following points are categorically clarified:

- There is no limit on holding of gold jewellery or ornaments by anybody provided it is acquired from explained sources of income including inheritance
- Vide circular dated 11.5.1994, instructions have been issued in the matter of search and seizure of gold jewellery.
- Jewellery and ornaments to the extent of 500 gms for married lady, 250 gms. for unmarried lady and 100 gm for male member will not be seized, even if prima facie, it does not seem to be matching with the income record of the assessee.
- Officer conducting search has discretion not to seize even higher quantity of gold jewellery based on factors including family customs and traditions.


(Meenakshi J. Goewami)
Commissioner of Income Tax
(Media and Technical Policy)
Official Spokesperson, CBDT.

सोने के स्रोतों का दस्तावेज़ीकरण

निर्धारित सीमा से अधिक सोने की मात्रा के लिए, वैध स्रोतों का पता लगाने के लिए मजबूत दस्तावेज होना महत्वपूर्ण है, चाहे वह खरीदारी हो या विरासत।

पता लगाने योग्य इतिहास

सुनिश्चित करें कि परिवहन के दौरान कब्जे की वैधता को प्रमाणित करने के लिए सभी सोने का स्पष्ट और पता लगाने योग्य खरीद या विरासत का इतिहास हो।

विस्तृत चालान

सभी खरीदारी के साथ विस्तृत चालान होना चाहिए जिसमें तारीख, विक्रेता विवरण और मूल्य निर्धारण जैसी विशिष्ट बातें शामिल हों।

इनहेरिटेंस प्रूफ

विरासत में मिले सोने के लिए, सही स्वामित्व की पुष्टि के लिए कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र और वसीयत दस्तावेज की आवश्यकता हो सकती है।



वर्ड ऑफ़ कॉशन

- इस प्रस्तुति में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है।
- जानकारी की पूर्णता, सटीकता, विश्वसनीयता, उपयुक्तता या उपलब्धता के संबंध में कोई भी प्रतिनिधित्व या वारंटी, व्यक्त या निहित, नहीं दी जाती है।
- इस प्रस्तुति में किसी भी जानकारी पर भरोसा करना पूरी तरह से आपके अपने जोखिम पर है।
- व्यक्त किए गए विचार और राय प्रस्तुतकर्ता के अपने हैं और जरूरी नहीं कि वे किसी एजेंसी, संगठन, नियोक्ता या कंपनी की आधिकारिक नीतियों या पदों को प्रतिबिंबित करें।
- उदाहरण और केस अध्ययन केवल उदाहरणात्मक हैं और इन्हें सलाह या सिफ़ारिशों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
- अपनी स्थिति के अनुरूप विशिष्ट सलाह के लिए कानूनी सलाहकारों, वित्तीय सलाहकारों या अन्य पेशेवरों से परामर्श लें

Thank You!

